

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,  
बिहार।

पटना, दिनांक 14/12/2018

विषय : विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित चिकित्सकों की सूची पर आपत्ति दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सभी सिविल सर्जन, बिहार से चिकित्सकों की सूची विहित प्रपत्र में विभाग को प्राप्त हुई है, जिसमें निम्नांकित सूचनाएँ दर्ज हैं-

- (1) नाम
- (2) सिविल लिस्ट सं०/नियुक्ति की अधिसूचना दिनांक सहित
- (3) पदनाम
- (4) गृह जिला
- (5) प्रकार (सामान्य/क्षेत्र)
- (6) आरक्षण कोटि (अनारक्षित/एससी/एसटी/बीसी/एम.बी.सी. इत्यादि) नियुक्ति के आधार पर।
- (7) नियमित/संविदा
- (8) HRIS Person Id (अगर बनाया गया हो)
- (9) जिला/संस्थान में पदस्थापन स्थान एवं तिथि
- (10) जिला में वास्तविक पदस्थापन स्थान (अगर प्रतिनियुक्ति किया गया हो तो)

2. उक्त सूचनाओं को समेकित करते हुए सूची विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गयी है। उक्त समेकित सूची में अगर आपके जिला/चिकित्सा संस्थान में कार्यरत चिकित्सकों के संबंध में दर्ज सूचनाओं में यदि कोई गलत सूचना अंकित हो तो इस संबंध में अपनी आपत्ति विभागीय वेबसाईट पर [www.health-bih@nic.in](http://www.health-bih@nic.in) प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर दर्ज करना सुनिश्चित किया जाय।

3. उक्त सूचनाओं में से आरक्षण कोटि के संबंध में विवेक रूप से जाँच कर ली जाय इसी आरक्षण कोटि के आधार पर आगे विभाग स्तर से चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस का कार्य किया जाएगा।

4. आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मानते हुए कि प्रकाशित सूचनाएँ सही हैं अग्रे कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासमाजन,

14.12.18  
(अनिल कुमार)